दिनांक	आज्ञा पत्र
8.10.24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप.। पत्रावली वास्ते पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21.10.24 को पेश हो। सहायक कलक्टर(मु.)सीकर
21/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 3/12/24 को पेश हो। सहायक कलक्टर (मु.)सीकर
3/12/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 17/12/24 को पेश हो। सहायक कलक्टर(मु.)सीकर
17/12/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थिका एवं प्रार्थिका पक्ष को बार-बार आवाज लगवाई गई लेकिन वादीगण पक्ष तक हाजिर ही आये। अब वाद अनुपस्थिति व अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। इसलिए इस पत्रावली में धारा 212 RT ACT को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः पत्रावली धारा 212 RT ACT प्रार्थिका अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार होकर वाद कार्यवाही आवश्यक अमल हो। निर्णय आज दिनांक 17/12/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

Scanned with CamScanner